रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 अक्तूबर, 2008 / 3 कार्तिक, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 3 अक्तबूर, 2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ(5)163 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव छैछंडी, तहसील, पालमपुर, जिला कांगडा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग उ0 क्षेत्र कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगड़ा	पालमपुर	छैछंडी	64 / 1	0–00–36
			103 / 1	0–00–18
			107 / 1	0–00–27
			1592 / 108 / 1	0–00–26
			110 / 1	0–00–60
			111 / 1	0–00–74
			112 / 1	0–00–24
			113 / 1	0–00–60
			1605 / 678 / 1	0–00–20
			1609 / 680 / 1	0–00–34
			1610 / 680 / 1	0–00–71
			1612 / 681 / 1	0–00–10
			कुल किता 12	**0–04–60**

शिमला–2, 3 अक्तूबर, 2008

संख्याःपी.बी.डब्लयू (बी)एफ(5) 153 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव खैरा उपरला, तहसील, पालमपुर, जिला कांगडा में भवारना–जयसिंहपर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग उ0 क्षेत्र कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगड़ा	पालमपुर	खैरा उपरला	20 / 1	0–00–18
			21 / 1	0–00–14
			22 / 1	0–00–24

30 / 1	0–00–29
31 / 1	0–00–14
32	0–00–24
33 / 1	0–00–36
63 / 1	0–00–18
64 / 1	0–00–12
65 / 1	0–00–15
75 / 1	0–00–24
462 / 76 / 1	0–00–24
98 / 1	0–00–72
98 / 2	0–00–09
99 / 1	0–00–18
100 / 1	0–00–18
101 / 1	0–00–27
102 / 1	0–00–06
103 / 1	0–00–21
104 / 1	0–00–18
105 / 1	0–00–12
107 / 1	0–00–36
107 / 2	0–00–14
127 / 1	1–01–99
कुल किता 24	**0–07–02**

शिमला–2, 3 अक्तूबर, 2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5) 155 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव मालनू, तहसील, पालमपुर, जिला कांगड़ा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग उ0 क्षेत्र कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0 में)
कांगड़ा	पालमपुर	मालनू	48	0–01–24

246	0–00–24
257 / 1	0–00–88
261 / 1	0–00–52
1254 / 286 / 1	0–00–34
1255 / 286 / 1	0–00–24
292	0–00–72
293	0–05–32
295	0–03–66
299 / 1	0–00–26
315 / 1	0–00–16
316 / 1	0–01–40
326 / 1	0–00–77
387 / 1	0–01–88
कुल किता 14	**0–17–63**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव।

———

राजस्व विभाग
(स्टाम्प–रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला–171002, 23 सितम्बर, 2008

संख्याः रैव0 1–3 (स्टाम्प)6 / 80– ।।।–लूज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषकों / बागवानों द्वारा, वित्तीय संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और समस्त प्राइवेट बैंकों से कृषि / उद्यान (जड़ी–बूटी औषधीय और सुगन्धित पदार्थ और जैव प्रौद्योगिकी सेक्टरों सहित) तथा सहबद्ध सेक्टरों जैसे दुग्ध उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुक्कुट उद्योग इत्यादि तथा कृषि और सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्टस एक्सपोर्ट डैवलपमेन्ट आथोरिटी, मैडिसिनल प्लांट बोर्ड इत्यादि की स्कीमों के अधीन राज्य में संप्रवर्तित समस्त स्कीमों के प्रयोजन हेतु उधार लिए गए 10.00 लाख (दस लाख) रुपए तक के ऋणों के लिए बन्धक विलेखों की बाबत निष्पादित किसी लिखत पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क से समस्त हिमाचल प्रदेश में तुरन्त प्रभाव से छूट देती हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव।

(*Authoritative English Text of the Notification No. Rev. 1-3(Stamp)6/80-III-loose dated 23-9-2008 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*).

REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 23*th September*, 2008

No.Rev.1-3(Stamp)6/80-III-loose.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899) as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to remit the entire stamp duty chargeable under the said Act or any instrument executed in respect of mortgage deeds by the agriculturists/horticulturists for Loans borrowed from the Financial Institutions *i.e.* Nationalized Banks, Regional Rural Banks, Gramin Banks and all Private Banks upto Rs. 10.00 Lakh (Rupees ten Lakhs) only for the purpose of all the schemes promoted in the State under agriculture/horticulture(including herbal medicine & aromatics and Biotechnology Sectors) and allied sectors like Dairy, Fisheries, Poultry etc. and the schemes of Ministry of Agriculture & Cooperation, Animal Husbandry & Dairing, Ministry of Food Processing, National Horticulture Board, Agriculture Processed Food Products Export Development Authority, Medicinal Plant Board etc. with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
FC-cum-*Principal Secretary*.

———————

राजस्व विभाग
(स्टाम्प–रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला–171002, 23 सितम्बर, 2008

संख्याः रैव0 5–10/74–राजस्व–क.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 और 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देती हैं कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 06 जून, 1970 को प्रकाशित और समय–समय पर यथा संशोधित इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 17–13/66–रैव0–ए तारीख 14 अप्रैल, 1969 से उपाबद्ध रजिस्ट्रीकरण फीसों की सारणी के अनुच्छेद–1 की विद्यमान मद (जी–3) के पश्चात्, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित नई मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

(b-4) "A fee of Rs. 10/- (Rupees ten) only shall be charged for any instrument executed by the agriculturists/horticulturists in favour of the Financial Institutions i.e. Nationalized Banks, Cooperative Banks, Regional Rural Banks, Gramin Banks and all Private Banks for the purpose of all the schemes promoted in the State under agriculture/horticulture (including herbal medicinal & aromatics and Biotechnology sectors) and allied sectors like Dairy, Fisheries, Poultry etc. and the schemes of Ministry of Agriculture & Cooperation, Animal Husbandry & Dairing, Ministry of Food Processing, National Horticulture Board, APEDA, Medicinal Plant Board etc.

with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh. And further, the Proviso No.9 provided for in the aforesaid notification dated 14th April, 1969 shall be deleted."

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव।

(*Authoritative English Text of the Notification No. 5-10/74-Revenue-A, dated 23-9-2008 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*).

REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 23th September, 2008

No.5-10/74-Revenue-A.—In exercise of the powers conferred upon him by Sections 78 & 79 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that for after the existing item (G-3) of the Article 1 of the Table of Registration Fees annexed to this department notification No. 17-13/66 Revenue-A dated 14th April, 1969, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 6th June, 1970 and as amended from time to time, the following new item shall be inserted with effect from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, namely :—

(b-4) "A fee of Rs. 10/-(Rupees ten) only shall be charged for any instrument executed by the agriculturists/horticulturists in favour of the Financial Institutions i.e. Nationalized Banks, Cooperative Banks, Regional Rural Banks, Gramin Banks and all Private Banks upto Rs. 10.00 Lakh (Rupees ten Lakhs) only for the purpose of all the schemes promoted in the State under agriculture/horticulture (including herbal medicine & aromatics and Biotechnology Sectors) and allied sectors like Dairy, Fisheries, Poultry etc. and the schemes of Ministry of Agriculture & Cooperation, Animal Husbandry & Dairing, Ministry of Food Processing, National Horticulture Board, Agriculture Processed Food Products Export Development Authority, Medicinal Plant Board etc. with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh. And Further, the proviso No.9 provided for in the aforesaid notification dated 14th April, 1969 shall be deleted."

By order,
Sd/-
FC-cum-*Principal Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित